

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Bsw-D 41/2015 श्री बदामीलाल बनाम श्री धूलिया

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-02-2018	<p>अपील अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दिनांक 22-06-2015 प्रकरण संख्या 10/2009 वाद</p> <p>-----</p> <p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर अपील उजरात पर मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पत्रावली में वादी की साक्ष्य जिरह में प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट द्वारा हमेशा समय चाहे जाने की आदेशिकाएँ दिनांक 13-3-2014 से 17-7-2014 तक चार बार जिरह के लिए प्रतिवादी ने समय चाहा है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं है तथा पत्रावली को दिनांक 28-5-2015 को 22-6-2015 को लोक अदालत में रखे जाने का वर्णन किया गया है। परन्तु अधिवक्ता व पक्षकारान को सूचित किये जाने का कोई उल्लेख अथवा साक्ष्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी की साक्ष्य जिरह हुए बिना तथा प्रतिवादी की साक्ष्य हुए बिना प्रकरण में निराधार वादी अपीलान्त की जिरह पर प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट के दायित्व को वादी अपीलान्त पर आरोपित कर जल्दबाजी में प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22-06-2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ <b>प्रतिप्रेषित</b> किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की विधिवत साक्ष्य लेकर सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09-04-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(एल.एन. मंत्री ) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Bsw-D 41/2015 श्री बदामीलाल बनाम श्री धूलिया

---

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Bsw-D 41/2015 श्री बदामीलाल बनाम श्री धूलिया

---

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Bsw-D 41/2015 श्री बदामीलाल बनाम श्री धूलिया

---


## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता  
श्री कालूलाल नादा निवासी  
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल  
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने  
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल  
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा  
उदयपुर (राज0)  
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....  
..... उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....27..... माह .....02..... 1993

### दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री संजय बोहरा ....  
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित  
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक  
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को  
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

### खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .....					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा .....					
4. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Bsw-D 41/2015 श्री बदामीलाल बनाम श्री धूलिया

---

## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गांगा पिता देवा डंगी  
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य -2

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल  
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुखर्ष.....08.....  
माह .....07..... 2015

### दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
हाजरी ....श्री मन्नाराम डंगी ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री .....  
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि ..... प्रकरण में  
वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन  
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण  
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.  
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर  
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंग ....X.... रुपये..... X .....अदा  
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को  
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

### खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .....					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा .....					
8. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।